



[illegible]

मीटर 600 मीटर दौड़, लम्बी कूद, ऊँची कूद, गोला फेंक, कबड्डी , खो - खो वॉलीबॉल प्रतियोगिता तथा अंडर- 17 में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मी तथा 3000 मीटर, कबड्डी खो- खो, वॉलीबॉल, लम्बी कूद, ऊँची कूद , गोला फेंक, भाला फेंक आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक नेता खिलानंद अटवाल जी द्वारा किया। उन्होंने अपने संचालन में बालिकाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया। खेल प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने के लिए लेखा प्रमुख निमाई चन्द्र माझी, मोहित राणा, जितेंद्र सिंह राणा, खजान सिंह, सत्य प्रकाश सिंह,, पवन कुमार, लीला रौतेला , नीलम रानी, रेनू उपाध्याय , नीतू चौहान, मनदीप कौर, फकीर सिंह, नरेश सिंह , साहिल आदि शिक्षक उपस्थित रहे।





उत्तरांचल दर्पण

सम्पादकीय

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

शराब की दुकानें

आम राय यही है कि नाबालिगों को शराब की लत से दूर रखा जाना चाहिए। इस क्रम में देश भर में शराब खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है, हालांकि किसी राज्य में इसके लिए पच्चीस वर्ष की उम्र निर्धारित है, तो किसी राज्य में इक्कीस। कम से कम अठारह वर्ष की सीमा हर जगह तय की गई है कि इससे कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं बेची जाएगी। मगर हालत यह है कि कई बार इससे भी कम आयु के बच्चे शराब खरीदते दिख जाते हैं। शराब की दुकानों पर शायद ही कहीं इस बात की व्यवस्था होती है कि शराब खरीदने वाले की उम्र जांची जाए। इसी मसले पर एक स्वयंसेवी संगठन की याचिका में उठाए गए सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें शराब की दुकानों और अन्य विक्रय स्थलों पर उम्र की जांच के लिए एक प्रभावी नियमावली और एक सुदृढ़ नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। दरअसल शराब की बिक्री और उसका सेवन करने को लेकर नियम-कायदे तो बना दिए गए हैं, मगर उस पर अमल को लेकर गंभीरता शायद ही कहीं दिखती है। इतना तय है कि अगर शराब पीने की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है तो इसके पीछे यह धारणा काम करती है कि इससे कम उम्र में शराब के सेवन से सेहत को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह की शर्तों के पीछे मुख्य भावना यह है कि बच्चों को शराब के दायरे से दूर रखा जाए। विचित्र है कि इस पर अमल के लिए किसी तरह की नियमावली और नीति तय नहीं की गई है कि अगर दुकान पर कोई व्यक्ति शराब खरीदने गया है तो उसकी उम्र की जांच हो। नतीजतन, दुकानदारों को सिर्फ बेचने से मतलब होता है और शराब के शौकीन या लती बेहिचक खरीदते हैं, वे निर्धारित उम्र की शर्त पालन करते हों या नहीं। एक तरफ यह बच्चों या किशोरों में शराब की लत को बढ़ावा देता है या इसकी अनदेखी करता है, दूसरी ओर इस तरह सरेआम इससे संबंधित कानून को भी ध्ता बताया जाता है। इसीलिए याचिका में सुझाव दिया गया है कि शराब बेचने वाले सभी स्थानों पर ऐसे लोगों की उम्र की जांच करने की व्यवस्था की जानी चाहिए जो तीस वर्ष से कम उम्र के लग रहे हों। इसके लिए सरकार की ओर से जारी आध र कार्ड, निर्वाचन कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, पार्टी में बच्चों को शराब मुहैया कराने वाले आयोजकों की जिम्मेदारी तय करने और जुर्माना लगाने की भी सलाह दी गई है। विडंबना यह है कि चूंकि शराब की बिक्री सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा जरिया है, इसलिए वे इससे संबंधित कई नियम-कायदों की अनदेखी करती हैं। कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों की शृंखला जैसी दिखती है। यहां तक कि मांग के आधार पर शराब घर तक पहुंचाए जाने का चलन बढ़ रहा है। आसान तरीके से शराब मिल जाना नई पीढ़ी के लिए उसकी ओर आकर्षित होने का एक बड़ा कारण है। सेहत पर असर और सड़क हादसों में इसकी भूमिका की वजह से पहले भी शराब के सेवन को नियंत्रित करने की बात कही जाती रही है। जरूरत इस बात की है कि सरकार इससे संबंधित एक स्पष्ट नीति और नियमावली तैयार कर उस पर अमल सुनिश्चित करे।

घर में घुसकर दंपत्ति से मारपीट

हल्द्वानी(उद संवाददाता)। पति-पत्नी को घर में घुसकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला ने दबंगों के खिलाफ बनभूलपुरा थाना पुलिस को तहरीर सौंप कर कार्रवाई की मांग की है।सौंपी तहरीर में इंदिरा नगर मस्जिद के पास रहने वाली राबिया पत्नी बबलू ने कहा है कि 11 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे उसका पति बबलू अपने घर में था इतने ही देर में इंदिरा नगर में रहने वाला साहिल, कमाल, शाबू पुत्रगण खान एवं उसका साथी मुजफ्फर उसके घर में आ धमके जिनके हाथों में लोहे की रॉड, साइकिल की चेन से पति से मारपीट करना शुरू कर दी जब बचाने का प्रयास किया तो हथियारबंद लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की। मारपीट में पति बबलू गंभीर रूप से घायल हो गया उसे उपचार के लिए बेस चिकित्सालय ले जाया गया। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए घर से भाग गए। पीड़िता ने पुलिस से बाहर लगाई है कि दबंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस ने सभी दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है थाना प्रभारी नीरज भाकुनी का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ काली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी किसी भी हाल में अराजकता फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।

चोरी करके भाग रहे दो चोर पकड़े

हल्द्वानी(उद संवाददाता)। मुखानी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर चोरी करना भारी पड़ गया। चोर पानी की मोटर व सरिया लेकर भाग रहे थे इसी दौरान गृह स्वामी के भतीजे ने दोनों चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। विकास नगर विक्टोरिया नंबर 1 निवासी कुनाल भोजक पुत्र नवीन सिंह भोजक के घर में बीती देर शाम दो चोर घुस गए चोर पानी की मोटर व सरिया लेकर भाग रहे थे। तभी कुनाल का भतीजे अंश ने शोर मचा दिया। शोर गुल सुनकर भागते हुए चोरों को स्थानीय लोगों व अंश ने पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया एक चोर ने पुलिस को अपना नाम मोहम्मद कासिम पुत्र मोहम्मद नाजिम निवासी लाइन नंबर 16 बताया अन्य चोर से पुलिस घंटों से पूछताछ कर रही है हालांकि पुलिस ने दोनों चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

तुलसी शालिग्राम की हुई सगाई

हल्द्वानी (उद संवाददाता)।श्री सत्यनारायण मंदिर में तुलसी एवं शालिग्राम की आज सगाई धूमधाम से की गई । मंदिर के मुख्य पुजारी चन्द्रशेखर जोशी द्वारा पूजा अर्चना कराई गई पूजा अर्चना मे नीता रानी सुखीजा ,मधु अरोड़ा ,बाला चोपड़ा, सुनीता आनंद ,नीतू आनंद ,शांति रजोरी ,रितुचोपड़ा ,पूजा ,सीमा ,अनीता ,नीति , पुष्पा एवं गगन चोपड़ा सन्नी भूषण गुलाटी , दिलीप कपूर, शम्मी कपूर, राजू आनंद आदि कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर के मुख्य पुजारी जोशी ने बताया कि कल प्रातः 5.30 बजे श्री तुलसी जी एवं शलिग्राम जी की शादी होगी।



धार्मिक आडंबर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ‘पंडित नेहरू’ जी की ‘प्रासंगिक समझ’

इतने सालों बाद हमे शर्म से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि धार्मिक आडंबरों, पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वाले और दकियानूसी सोच के सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के बढ़ते प्रभाव और वोटों के लिए उन्हें मिलते राजनीतिक संरक्षण के इस दौर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नेहरूवादी समझ और भारतीय संदर्भ में इसके वास्तविक उपयोग और कार्यान्वयन के बीच अब गहरी खाई तैयार हो चुकी है। इसीलिए नेहरू आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। आज देश में जब तमाम जगहों पर अंध



विश्वास फैलाने वाले धर्मगुरुओं नेताओं की बाढ़ आई हुई है ऐसे में तकरीबन सत्तर साल पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू का ये कहना कि, ‘राजनीति मुझे अर्थशास्त्र की ओर ले गई और उसने मुझे अनिवार्य रूप से विज्ञान और अपनी सभी समस्याओं और जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की ओर प्रेरित किया। सिर्फ विज्ञान ही भूख और गरीबी की समस्याओं का समाधान कर सकता है। विज्ञान ही वह इकलौता जरिया है जो भूख और गरीबी को मिटा सकता है।’ बेहद दूरदर्शिता से भरा और दृष्टिगामी हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू की वैज्ञानिक सोच की अवधारणा एक तर्कसंगत दृष्टिकोण है, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह किसी की सोच और कार्यों का अभिन्न अंग होना चाहिए। विज्ञान और धर्म के बीच उनके मन में कोई अंतर्विरोध नहीं था। उनका मानना था विज्ञान धर्म जैसा नहीं है, जो अंतर्ज्ञान और भावना पर निर्भर करता है। नेहरू का मानना था कि विज्ञान लोगों को पारंपरिक मान्यताओं को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है, और धर्म असहिष्णुता, अंधविश्वास और तर्कहीनता को जन्म दे सकता है। नेहरू के अनुसार वैज्ञानिक सोच जीवन जीने का एक तरीका है, सोचने की एक प्रक्रिया है, और काम करने का एक तरीका है। इसमें नए सबूतों के लिए खुला रहना, निष्कर्ष बदलना और देखे गए तथ्यों पर भरोसा करना शामिल है। नेहरू का मानना था कि वैज्ञानिक सोच के प्रसार से धर्म का दायरा कम हो जाएगा। नेहरू ने वैज्ञानिक सोच के महत्व पर जोर दिया और माना कि इसे व्यक्तिगत, संस्थागत, सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही नेहरू ने सन् 1938 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की एक बैठक में कहा था: विज्ञान जीवन की वास्तविक प्रकृति है। केवल विज्ञान की ही सहायता से भूख, गरीबी, कुतर्क और निरक्षरता, अंध विश्वास एवं खतरनाक रीति-रिवाजों और दकियानूसी परम्पराओं, बर्बाद हो रहे हमारे विशाल संसाधनों, भूखों और सम्पन्न विरासत वाले लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज की स्थिति से अधिक सम्पन्न भविष्य उन लोगों का होगा, जो विज्ञान के साथ अपने संबंध को मजबूत करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नेहरू ने सन् 1946 में अपनी पुस्तक ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ में लोकहितकारी और सत्य को खोजने का मार्ग बताया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी स्थिति के मूल कारणों के वस्तुगत विश्लेषण करने पर जोर देती है। वैज्ञानिक कार्यपद्धति के



प्रमुख या अनिवार्य गुणधर्म जिज्ञासा, अवलोकन, प्रयोग, गुणात्मक व मात्रात्मक विवेचन, गणितीय प्रतिरूपण और पूर्वानुमान हैं। नेहरू के मुताबिक ऐसा नहीं है, ये वैज्ञानिक कार्यपद्धति हमारे जीवन के सभी कार्यों पर लागू हो सकती है क्योंकि इसकी उत्पत्ति हम सबकी जिज्ञासा से होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह वैज्ञानिक हो अथवा न हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हो सकता है। दरअसल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दैनिक जीवन की प्रत्येक घटना के बारे में हमारी सामान्य समझ विकसित करती है। नेहरू जी के अनुसार इस प्रवृत्ति को जीवन में अपनाकर अंधविश्वासों एवं पूर्वाग्रहों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नेहरू अपनी पुस्तक 1946 की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 512 पर लिखते हैं “आज विज्ञान के अनुप्रयोग सभी देशों और लोगों के लिए अपरिहार्य और अटल हैं। लेकिन इसके अनुप्रयोग से कहीं ज्यादा कुछ और भी जरूरी है। यह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान का साहसिक और फिर भी आलोचनात्मक स्वभाव, सत्य और नए ज्ञान की खोज, बिना परीक्षण और परीक्षण के किसी भी चीज को स्वीकार करने से इनकार करना, नए सबूतों के सामने पिछले निष्कर्षों को बदलने की क्षमता, पहले से तय सिद्धांत पर नहीं बल्कि देखे गए तथ्य पर भरोसा करना, मन का कठोर अनुशासन – यह सब सिर्फ विज्ञान के अनुप्रयोग के लिए ही नहीं बल्कि जीवन और उसकी कई समस्याओं के समाधान के लिए भी जरूरी है” वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नेहरू विज्ञान को लागू करने से भी ज्यादा महत्व देते हैं। जाहौर है इस तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना न समाज का विकास संभव है नया विज्ञान का। नेहरू ने भारत की एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में को कल्पना की और जिसके लिए प्रयत्न किया वो आधुनिक भारत उनके हिसाब से ऐसा होना था जहाँ लोग, पूर्व-धारणाओं और धर्मिक हठधर्मिता से मुक्त होकर, अपने आस-पास की दुनिया को समझने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करेंगे। देश और उसके लोगों की जरूरतों को पूरा करने में विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों के महत्व पर जोर देते हुए, नेहरू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सोच और तर्क के एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, शजीवन का एक तरीका और श्वेतंत्र व्यक्ति के स्वभावश के रूप में परिभाषित किया। इसलिए, नेहरू ने न केवल राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के भौतिक और व्यावहारिक लाभों को पहचाना, बल्कि उन्होंने जीवन के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में विज्ञान (वैज्ञानिक पद्धति, दृष्टिकोण और स्वभाव सहित) की भी दृढ़ता से पैरवी की और उसके समर्थन तर्क दिए। भौतिक उपलब्धियों की तरह की विज्ञान की संस्कृति में नेहरू की गहरी रुचि थी। इसलिए वे बार-बार ‘वैज्ञानिक स्वभाव’ और ‘विज्ञान की भावना’ शब्दों का इस्तेमाल करते थे।

विज्ञान की उनकी समझ एक दार्शनिकता लिए हुए थी। इसने उन्हें अपने सामाजिक आदर्शों और राजनीतिक विश्वासों को तर्कसंगतता पर आधारित, उनके धर्मनिरपेक्ष विश्वदृष्टिकोण और वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणाओं को विकसित करने और दुनिया के आगे उनके विचारों के रूप में रखने और कार्यपद्धति का हिस्सा बनाने में सक्षम बनाया। 1951 में विज्ञान कांग्रेस में उन्होंने कहा, “मेरी रुचि मुख्य रूप से भारतीय लोगों और यहां तक कि भारत सरकार को वैज्ञानिक कार्य और इसकी आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने की कोशिश में है।” वे साफ कहते हैं कि अकेले विज्ञान ने यह सुनिश्चित किया कि समाज उस तरह की बर्बरता की ओर न लौटे, जिसकी धार्मिक कट्टरता और प्रतिक्रियावादी रूढ़िवादिता बार-बार धमकी देती रही है। इसीलिए जितने साफ तौर पर नेहरू हिंदू और मुस्लिम संप्रदायवादियों की निंदा करते हुए उन्हें बेहद पिछड़ा बता सके और इन तत्वों को सरकार से दूर रख सके वैसे कोई केंद्र सरकार नहीं कर सकती। भारत की स्वतंत्रता के बाद नए संविधान को लागू करने की चुनौतियों के साथ हमारे देश का नेतृत्व आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने संभाला। देश के इस पहले प्रधानमंत्री को इस बात का भलीभांति बोध था कि वैज्ञानिकों सहित हमारे लोगों को तर्कहीनता, धर्मिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों ने जकड़ा हुआ है। नेहरू का यह मानना था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक ही रास्ता है- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को विकास से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री के रूप में, नेहरू ने अपने वैज्ञानिक विचारों के अनुसार वैज्ञानिक 1947 में उन्होंने अपने निर्देशन में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रीय सरकारी पोर्टफोलियो बनाया। 1951 में प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय बना जिसका वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में आगे विस्तार हुआ। नेहरू ने वैज्ञानिक मामलों पर संसद में बहस का नेतृत्व करना, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की वार्षिक बैठकों को संबोधित करना और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के शासी निकाय की अध्यक्षता करना जारी रखा। भारत के उत्तर-औपनिवेशिक विज्ञान के संरक्षक और मार्गदर्शक की तरह उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को महत्व दिया। इनमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एस।एस। भटनागर, भारत की योजना व्यवस्था के सांख्यिकीविद् पी.सी. महालनोबिस और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी के। भाभा शामिल थे। नेहरू ने परमाणु ऊर्जा विभाग पर अपना निजी नियंत्रण बनाए रखा। परमाणु ऊर्जा में उनकी गहरी रुचि ने यह सुनिश्चित किया कि यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत तथा भारत की वैज्ञानिक आधुनिकता के प्रतीक के उभरे। भाभा के साथ उनके संबंध

विशेष रूप से घनिष्ठ थे, जिससे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए विशेषाधिकार प्राप्त वित्त पोषण संभव हो सका। इसीलिए नेहरू का समय भारतीय विज्ञान के उत्कर्ष का युग था। उस समय छद्मविज्ञान की अवधारणाओं को किसी भी तरह का बढ़ावा सरकार द्वारा नहीं दिया गया। नेहरू ने ही हमारे शब्द-ज्ञान में ‘साइंटिफिक टेम्पर’ (वैज्ञानिक दृष्टिकोण) शब्द जोड़ा। वे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं : ‘आज के समय में सभी देशों और लोगों के लिए विज्ञान को प्रयोग में लाना अनिवार्य और अपरिहार्य है। लेकिन एक चीज विज्ञान के प्रयोग में लाने से भी ज्यादा जरूरी है और वह है वैज्ञानिक विधि जो कि साहसिक है लेकिन बेहद जरूरी भी है और जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनपता है यानी सत्य की खोज और नया ज्ञान, बिना जांचे-परखे किसी भी चीज को न मानने की हिम्मत, नए प्रमाणों के आधार पर पुराने नतीजों में बदलाव करने की क्षमता, पहले से सोच लिए गए सिद्धांत की बजाय, प्रेक्षित तथ्यों पर भरोसा करना, मस्तिष्क को एक अनुशासित दिशा में मोड़ना- यह सब नितांत आवश्यक है। केवल इसलिए नहीं कि इससे विज्ञान का इस्तेमाल होने लगेगा, लेकिन स्वयं जीवन के लिए और इसकी बेशुमार उलझनों को सुलझाने के लिए भी... वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानव को वह मार्ग दिखाता है, जिस पर उसे अपनी जीवन-यात्रा करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण एक ऐसे व्यक्ति के लिए है, जो बंधन-मुक्त है, स्वतंत्र है।’ नेहरू ने भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए। इन्हीं प्रयत्नों में से एक है उनके द्वारा सन् 1958 में देश की संसद (लोकसभा) में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति को प्रस्तुत करते समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विशेष महत्व देना। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका तथा सत्य को खोजने का तरीका बताया था। सारी दुनिया के लिए यह पहला उदाहरण था, जब किसी देश की संसद ने विज्ञान नीति का प्रस्ताव पारित किया हो। उनका कहना था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब महज परखनली को ताकना, इस चीज और उस चीज को मिलाना और छोटी या बड़ी चीजें पैदा करना नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है दिमाग को और जिंदगी के पूरे ढर्रे को विज्ञान के तरीकों से और पद्धति से काम करने के लिए प्रशिक्षित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध तर्कशीलता से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार वही बात ग्रहण के योग्य है जो प्रयोग और परिणाम से सिद्ध की जा सके, जिसमें कार्य-कारण संबंध स्थापित किये जा सकें। चर्चा, तर्क और विश्लेषण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण अंग है। निष्पक्षता, मानवता, लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता आदि के निर्माण में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण कारगर है। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के हिस्से के रूप में अनुच्छेद 51ए(एच) के तहत भारतीय संविधान में ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और खोज और सुधार की भावना विकसित करना’ प्रत्येक नागरिक के दस मौलिक कर्तव्यों में से एक घोषित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मानवतावाद की भावना के साथ जोड़ा जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अंततः हर तरह की तरक्की का लक्ष्य मानव और जीवन की गुणवत्ता और उसके संबंध का विकास है। हमारे बच्चों और समाज में इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ही नेहरूजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

-कल्पना पांडे।



